ई-डिस्टिक्ट के अन्तर्गत जारी..



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला तहसील आवेदन क्र० अमेठी तिलोई

जारी दिनांक: 08/04/2021

प्रमाणपत्र कर

212030030045207 724213005316

> प्रमाणित किया जाता है कि पुत्र/पुत्री माता का नाम निवासी ग्राम तहसील जिला

PANKAJ KUMAR DINESH KUMAR O

BRAHAMANI FURSATGANJ



उत्तर प्रदेश राज्य की <u>बढ़ई</u> जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

तिलोई

अमेठी

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि PANKAJ KUMAR पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा)अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एंव जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-॥ , दिनाँक २० अक्टुवर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है।इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अविध के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में यथा विहिप छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है |

जारी कर्ता केन्द्र: ऋषिराज,सीटीईडी जन सेवा केंद्र DIGVIJAY DIGNUAY SINGH पद: ऋषिराज, केन्द्र प्रभारी SINGH SINGH OF PREVENTED

स्थान : BARAKOT,तिलोई,बारकीर ,तिलोई,तिलोई

दिनॉक: 13/04/2021 हस्ताक्षर एंव मुहर SINGH DIGWIJAY SINGH
OREVENUE
DEPARTMENT,
OU=REVENUE
DEPARTMENT,
S=UTTAR PRADESH

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार डिजिटल हस्ताक्षरित तिलोई,अमेठी दिनॉक:08/04/2021

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी सिस्टम द्वारा चैंचार किया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताकारित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट http://edistrict.up.gov.in पर इसका पहले आवेदन कः फिर प्रमाणपत्र कः अफित कर,सत्यापित किया जा सकता है।